



Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date: 18/02/2017

Certificate No. Q0R2017B16

GRN No. 23977440

Stamp Duty Paid: ₹ 129600
(Rs. Only)

Penalty ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Sushila

H.No/Floor: 0

City/Village: Panipat

Phone: 0

Sector/Ward: 0

District: Panipat

LandMark: Kabri

State: Haryana

Buyer / Second Party Detail

Name: Rambhaji

H.No/Floor: 35

City/Village: Panipat

Phone: 9812082303

Sector/Ward: 0

District: Panipat

LandMark: G t b colony model town

State: Haryana

Purpose: STAMP DUTY FOR REGISTRATION OF SALE DEED OF PROPERTY SITUATED AT VILLAGE KABRI PANIPAT TEHSIL AND DISTRICT PANIPAT

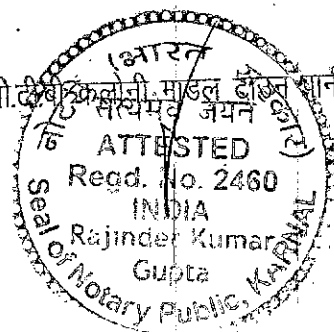
The authenticity of this document can be verified by scanning this QR Code Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

बैनामा जरई
विक्रय पत्र कृषि भूमि बदले मु० 21,00,000/- रु स्थित ग्राम काबडी पानीपत।
कलैक्टर रेट 36,36,000/-रु
स्टाम्प : 1,29,600/-रु
स्टाम्प सरटीफिकेट क्रमांक: GRN: 23977440
जारी कर्ता: certificate no Q0R2017B16 Dt. 18/2/17
NDC No. 348 Dated 13-2-2017
किस्म : कृषि भूमि
रकबा : 5 कनाल 14 मरले।
वाका : ग्राम काबडी पानीपत।

हम सुशीला विधवा लेट श्री रिशीपाल निवासी ग्राम काबडी तहसील व जिला पानीपत, विक्रेता, जिसको/जिनको इस प्रलेख में प्रथम पक्ष कहा गया है।

राममज पुत्र श्री हुकम चन्द पुत्र श्री छोटू राम निवासी ग्राम काबडी तहसील व जिला पानीपत, केता, जिसको इस प्रलेख में द्वितीय पक्ष कहा गया है।

सुशीला

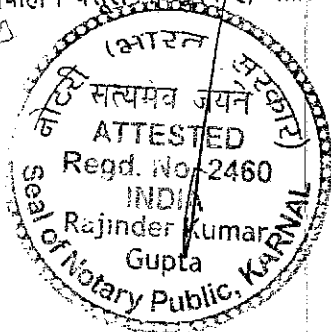


02 FEB 2022

जो कि मैं सावधान होकर लिख देता हूँ कि परस्पर रजामन्दी से यह विक्रय पत्र का प्रलेख निम्नलिखित पैराज/ब्यौरा के अनुसार लिख देता हूँ जिन पर मैं व मेरे उत्तराधिकारीगण एवं मेरे रिश्तेदार एवं मेरे सम्बंधीगण एवं मेरे से सम्पर्क रखने वाले व्यक्तिगण पाबंद रहेंगे :

- 1- यह कि कृषि भूमि खेवट नम्बर 112 खतोनी नम्बर 141 दर खसरा नम्बर : 37//9/2/2, 11, 12/1
2-4 7-11 3-18
19/2, 20/1, 61//1/3, 9, 10, 11, 62//5, 6,
1-11 1-12 1-2 8-0 8-0 8-0 7-12 7-12
294/2, 295/2, किते 13 रकबा 57 कनाल 11 मरला का 114/1151 भाग बाकदर रकबा 5 कनाल
0-4 0-5
14 मरला, वाका ग्राम काबडी तहसील व जिला पानीपत मुताबिक जमाबन्दी 2014-2015 प्रथम पक्ष की मलकीयत है।
- 2- यह कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रथम पक्ष की और से प्रत्येक ऋण से मुक्त है तथा किसी भी बैंक/विभाग/फर्म/कम्पनी/व्यक्ति के पास पलेज या गारन्टी में नहीं है एवं हर प्रकार के कानूनी नुक्स से پاک व साफ है। इससे पूर्व किसी प्रकार का कोई ऐग्रीमेंट भी इस भूमि का नहीं कर रखा है। इस भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय या विभाग में लम्बित ना है।
- 3- यह कि प्रथम पक्ष ने किसी के दबाब में या बहकाव में आकर के उक्त कृषि भूमि केता को पास नहीं बेचा, बल्कि अपनी इच्छा से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीददार के साथ सौदा किया है।
- 4- यह कि अब प्रथम पक्ष ने अपनी मर्जी से अपनी स्वतन्त्रमति से उपरोक्त कृषि भूमि रास्ता-खाल-सिंचाई व सभी अधिकारों सहित व हक सर्वाधिकारों सहित, मलकीयती अधिकारों सहित बदले मु० 21,00,000/-रु आधे जिनके मु० 10,50,000/-रु होते हैं पास श्री रामभज पुत्र श्री हुकमचन्द पुत्र श्री छोटू राम निवासी मकान नम्बर 35, जी.टी.बी. कलोनी माडल टाउन पानीपत, तहसील व जिला पानीपत, /द्वितीय पक्ष विक्रय कर दिया है।
- 5- यह कि 21,00,000/-रु ! इक्कीस लाख रुपये! सालम राशि बजरिया :
चैक नम्बर दिनांक राशि बैंक
982119 13-02-2017 1,00,000/-रु पंजाब नेशनल बैंक पानीपत।
982121 21-02-2017 1,00,000/-रु पंजाब नेशनल बैंक पानीपत।
982122 22-02-2017 9,50,000/-रु पंजाब नेशनल बैंक पानीपत।
982123 22-02-2017 9,50,000/-रु पंजाब नेशनल बैंक पानीपत।
पहले ही घर पर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से सबकुछ गैवाहान वसूल पा चुका है, यानि कि प्रथमपक्ष ने फुल एण्ड

सुरीला



02 FEB 2017

- फाईनल पेमेन्ट वसूल पा ली है। प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।
- 6- यह कि इस प्रकार द्वितीय पक्ष उपरोक्त कृषि भूमि 5 कनाल 14 मरले का पूर्ण स्वामी खुद खरीदकर्ता हो गया है, इसलिए उस का उक्त भूमि SELF ACQUIRED मानी जावेगी। अतः द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि को हर तरह से परिवर्तित/ट्रान्सफर कर सकेगा।
- 7- यह कि इस प्रकार प्रथम पक्ष का एंवम उसके उत्तराधिकारी एंवम अन्य सम्बंधीगण का कोई सम्बंध उक्त भूमि से नहीं रहा है।
- 8 यह कि कब्जा मौका पर वाकई प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष भूमि खसरा नम्बर 37//9/2/2, 11, 12/1, 19/2, 20/1, मे से रकबा 5 कनाल 14 मरले का दे दिया है। जिसके पीछे 2 करम का रास्ता लगता है। कब्जा द्वितीय पक्ष ने भूमि का सम्भाल लिया है।
- 9- यह कि इस विक्रय पत्र का प्रत्येक खर्चा द्वितीय पक्ष ने दिया है। यदि विक्रय की गई भूमि की मलकीयत में कोई नुकस या ऋण पावेगा या कोई अन्य व्यक्ति हकदार बनकर विवाद करेगा तो प्रथम पक्ष व उसकी चल व अचल सम्पत्ति हर प्रकार से जिम्मेवार रहेगी और खरीददार की इच्छानुसार हकरसी करने के पाबंद रहेगा।
- 10- यह कि प्रथम पक्ष की अनुपस्थिति में इस प्रलेख के आधार पर द्वितीय पक्ष के पक्ष में, रवैनु आफिसर महोदय को, उक्त कृषि भूमि का दाखिल खारिज करने का स्वतन्त्र अधिकार होगा।
- 11- यह कि भविष्य में प्रथम पक्ष या उसका कोई भी उत्तराधिकारी कथित रकबा सेल के सम्बंध में कोई विवाद या चुनौती भी नहीं कर सकेगा।
- 12- यह कि प्रथमपक्ष यह विक्रय पत्र बिना किसी बहकाव व दबाव अपनी इच्छा से विक्रय कर रहा है, इस प्रलेख को मैंने भली भांति पढ़ व सुन, समझ लिया है, जो बिल्कुल ठीक मानकर प्रथमपक्ष विक्रय पत्र पंजीकरण के लिए तहसील कार्यालय पानीपत में आया है।
- 13- यह कि क्रेता/खरीददार ने मलकीयती के असल कागजात देख लिए हैं, और खरीददार ने मलकीयती की मौका से पूर्णतयः तसल्ली कर ली है, जिसमें कोई त्रुटि ना है, एंवम इस जायदाद बैयनामा बारे किसी भी सैन्डल एक्ट वा लोकल एक्ट की उल्लंघना नहीं की जा रही है।
- 14- यह कि क्रेता व विक्रेता द्वारा हरियाणा डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन आफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 71ए की उल्लंघना नहीं की गई है।
- 15- यह कि बैयनामा पूर्ण रूप से हम दोनों फरीकैन के बताए गये तथ्यों व हमारे द्वारा दिए गये दस्तावेजों के आधार पर लिखा गया है, जिसके हम दोनों फरीकैन पूर्ण रूप से हर तरह से पाबंद व जिम्मेवार रहेंगे।
- अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

दिनांक 22/2/17

डाफटिड बाई :

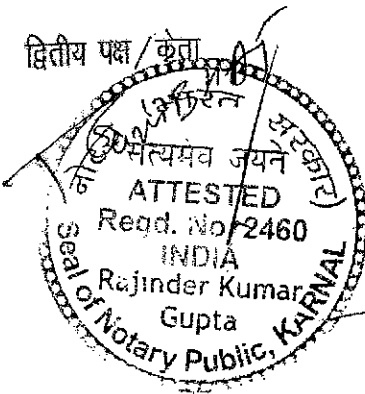
Manesh Miglani
Advocate
Reg. No. 1697 Date 22/2/17

प्रथम पक्ष/विक्रेता

द्वितीय पक्ष/क्रेता

गवाहान

श्री 21/ला



गवाहान
K. Singh
श्री 21/ला
श्री 21/ला